म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल.

क./बोर्ड/यो.गै.तक./78–पार्ट/2019–20/309 भोपाल, दिनांक 11/06/2019

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति.................................(समस्त)
जिला ....(म.प्र.)

विषय :– प्रदेश की मण्डी समितियों के लायसेंसधारी मण्डी व्यापारियों को सम्मानित करने बावत्।

–000–

प्रस्तावना/उद्देश्य :–

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में व्यापारियों द्वारा मण्डी प्रांगण में खरीदी संबंधी उत्कृष्ट कार्य को सम्मान देने के लिये यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा मण्डी समिति में अधिकतम कार्य उत्कृष्ट रूप से किया गया हो उन्हें सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले और वे और अच्छा कार्य करने के लिये प्रेरित होवें तथा इस प्रकार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित हो।

उपरोक्त योजना अन्तर्गत प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत लायसेंसधारी व्यापारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिये वर्ष में एक बार सम्मानित किया जायेगा, जिसमें उन्हें सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जावेंगे। प्रत्येक मण्डी समिति में उत्कृष्ट तीन व्यापारियों को योजना अंतर्गत सम्मानित किया जायेगा।

1. **योजना का नाम** :–उक्त योजना **''मण्डी व्यापारी सम्मान योजना 2019''** कहलायेगी।
2. **योजना के लिये पात्रता :–**
   1. मण्डी समिति के ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा विगत वर्ष अधिकतम खरीदी तथा अधिकतम मण्डी शुल्क का समय सीमा में भुगतान किया गया है।
   2. मण्डी समिति के ऐसे व्यापारी जिनका विगत वर्षों का लेखा सत्यापन कार्य समय–सीमा में कराया गया है।
   3. मण्डी समिति के ऐसे व्यापारी जो मण्डी में नियमित रूप से पूरे एक वर्ष लगातार क्रियाशील रहे हैं।
   4. मण्डी समिति के ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी कृषक का भुगतान लंबित न रखा गया हो।
   5. मंडी के ऐसे व्यापारी जिनको उस वर्ष में ''मण्डी पुरूस्कार योजना'' का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
3. **योजना अंतर्गत चयन समिति गठन :–**

   योजना अंतर्गत सम्मानित किये जाने हेतु पात्र मण्डी व्यापारियों का चयन किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा:–

   1. अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति।
   2. व्यापारी सदस्य, कृषि उपज मण्डी समिति।
   3. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति।

4. **चयन की प्रकिया :–**

योजनान्तर्गत मण्डी व्यापारियों को सम्मानित किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा मण्डी के लायसेंसधारी व्यापारियों में से चयन किया जाकर एक मण्डी समिति से 03 पात्र व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर प्रतिवर्ष सम्मानित किया जावेगा।

5. **योजना का कियान्यनः–**योजना के कियान्वयन के लिये सचिव मण्डी समिति अधिकृत होंगे योजना को सुचारू एवं प्रभावशील संचालन करने के लिये मंडी समिति का पूर्ण दायित्व रहेगा।

6. **कार्यकम का आयोजनः–** प्रत्येक वर्ष अप्रैल–मई माह में संपूर्ण लेखे पूर्ण होने पर व्यापारी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

7. **अंतिम निर्गय का अधिकार :– ''मण्डी व्यापारी सम्मान योजना 2019''** में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार कृषि उपज मण्डी समिति को होगा, जो सभी को मान्य करना अनिवार्य होगा।

8. **योजना में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार :–**

''मण्डी व्यापारी सम्मान योजना 2019'' में आवश्यकतानुसार किसी भी समय किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/रद्द अथवा दिशा निर्देश जारी करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सुरक्षित रहेगा। प्रबंध संचालक द्वारा योजना के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन करना प्रत्येक मण्डी समिति के लिये अनिवार्य होगा।

उक्त योजना आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क./बोर्ड/यो.गै.तक./78–पार्ट/2019–20/310 भोपाल, दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल.
2. स्टाफ आफीसर, कृषि उपत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल
4. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
5. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त)/प्रमुख अभियन्ता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
6. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय – ....(समस्त)(म.प्र.) तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

10/6

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.